न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 03/2019 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00015

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
निजामुद्दीन पुत्र मिश्रु खॉं जाति मुसलमान, निवासी खैरवा तहसील पाली जिला पाली (राज.)		1. सरपंच ग्राम पंचायत खैरवा 2. लीलादेवी पत्नी भीकाराम निवासी–खैरवा, तहसील पाली, पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश पारंगी
अप्रार्थी की और से महेन्द्र नारायण ओझा

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 16/12/20

वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994 के प्रस्ताव संख्या 01 दिनाँक 06.07.2004 एवं उसकी पालना मे जारी पट्टा संख्या 14 दिनाँक 16.08.2014 जो ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा जारी किया गया उसे निरस्त करने हेतु पेश किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस एवं ग्राम पंचायत खैरवा से मूल रेकर्ड तलब किया जाकर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील विक्रय विलेख संख्या 14 दिनाँक 16.08.2014 एवं प्रस्ताव संख्या 01 दिनाँक 06.07.2014 विधी विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। पंचायत खैरवा द्वारा जिस भूमी का विक्रय विलेख जारी किया गया है वह भूमी आबादी भूमी नही है वह गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 1199 की भूमी होने से तथा उसके चिपते ही खसरा नम्बर 1203/1 व 1203/3 खातेदार संतोष कुमार गर्ग वगैरा की खातेदारी भूमी होने से अड़ौस पड़ौस में कही भी आबादी भूमी नहीं है ऐसी स्थिति में प्रस्ताव व पट्टा खारिज किए जाने योग्य है। उक्त भूमी के पड़ोस में बंशीलाल मोची का भूखण्ड दर्शाया गया है लेकिन मौके पर अबादी भूमी नही है न ही वर्णित पड़ोस का उक्त भूखण्ड ही है। प्रार्थी खसरा नम्बर 1203/1 व 1203/3 खातेदारों की और से मुख्तियार नियुक्त है, तथा जैर निगरानी आराजी पर कब्जा करने से रोकने पर अप्रार्थी द्वारा पट्टे की प्रति बताई गई। तब प्रार्थी को पट्टे बाबत ज्ञान हुआ। ग्राम सेवक को पूछने पर उसने पट्टा जारी नही होना बताया तथा अप्रार्थी द्वारा आवेदन शुल्क निरीक्षण शुल्क व नक्शा शुल्क जमा नहीं कराये जाने का भी उल्लेख किया है तथा भूमी का नक्शा नहीं बनाया। 3 वार्ड पंचो की कमेटी का गठन नहीं किया जाना तथा आपत्ति इस्तिहार जारी नही करना तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव नही लिये जाने का भी आक्षेप लगाया है। तथ मिसल उपलब्ध नहीं होना भी जाहिर किया गया है। प्रार्थी को गैर कानूनी नियम विरूद्ध 1600 वर्गफुट का विक्रय [illegible] जारी किया गया जिसे खारिज कराने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता महेन्द्र ओझा ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आबादी भूमी मे जारी किया गया है पत्रावली संधारित की गई है तथा प्रस्ताव रजिस्टर में दिनाँक 06.[illegible]2014 को प्रस्ताव भी लिखा गया है प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है नक्शा बनाया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा तीन वार्ड पंचो की कमेटी का गठन भी किया जाकर भूखण्ड का मौका निरीक्षण किया जाकर रिपोर्ट पेश की गई है।

जिला कलेक्टर, पाली
Ansh

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:40:49 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.................2

तथा दो स्वतंत्र गवाहो के बयान भी कलम बद्ध किए गए जो पंचायत की मिसल संख्या 14/2014–15 से स्पष्ट है। प्रार्थी का कथन एक दम तथ्यहीन है कि भूमी आबादी नहीं है तथा पट्टा आबादी भूमी में जारी नहीं किया गया है न ही कही पंचायत मिसल पट्टे, अथवा प्रस्ताव में ही खसरा नम्बर उसकी किस्म का उल्लेख है जिसमे कि जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है न ही इस सम्बन्ध किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत कि ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमी में पट्टा जारी किया गया है। बाबत प्रार्थी ने प्रस्तुत किया है लिहाजा प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र तथ्यों व साक्ष्य से परे होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत खैरवा के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने हेतु कोरम में प्रस्ताव दिनांक 06.07.2014 को लिया गया है अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मिसल संख्या 14/2014–15 कायम की गई है तथा मौका निरीक्षण रिपोर्ट तीनों वार्ड पंचों द्वारा प्रस्तुत की पंचायत मिसल के संलग्न है ग्राम सेवक द्वारा जैर निगरानी आराजी का नक्शा बनाया गया है तथा आपति इश्तेहार जारी कर चस्पा किया हुआ है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी लिए हुए है इस प्रकार पंचायत द्वारा जो कार्यवाही की गई वह विधी सम्मत है प्रार्थी द्वारा पट्टा आबादी भूमी में जारी नहीं किए जाने का कथन किया है तथा गैर मुमकीन रास्तों खसरा नम्बर 1199 की भूमी होना बताया है तथा उसकी जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति भी पेश की है लेकिन उसके कही सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह नही बताया गया है कि जैर निगरानी आराजी रास्ते की भूमी है न ही पंचायत के रेकर्ड में इस बात का उल्लेख है अधिवक्ता प्रार्थी यह सिद्ध नहीं कर पाये कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमी में जारी नहीं किया जाकर रास्ते की भूमी खसरा नम्बर 1199 में जारी किया है अथवा खातेदारी भूमी में जारी किया गया है न ही ऐसा साक्ष्य सबूत भी पेश किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है लेकिन प्रार्थी के पास इस आशय के साक्ष्य सबूत है अथवा जुटा लेता है कि पट्टा आबादी भूमी में जारी नहीं किया जाकर अन्य प्रकार की भूमी में जारी किया गया है तो वह नए सीरे से पट्टा खारिज कराने हेतु पुनः निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है प्रार्थी साक्ष्य सबूत के अभाव में इस निगरानी में यह अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

निर्णय आज दिनाँक 16/12/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2021.03.05 19:40:49 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलक्टर, पाली